Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी-42/2013-एमपीलैड्स

Dated 26.11.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय :- एमपीलैड्स निधियों के लिए बैंक खाते का संचालन ।

महोदय,

मंत्रालय में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या एमपीलैड्स निधियों को सेवीफिक्स खाते में जमा किया जा सकता है । बैंक खाते के संचालन के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 4.14 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

> **4.14** जिला प्राधिकारी एमपीलैड योजना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक सांसद के लिए राष्ट्रीकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता मेनटेन करेगा । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जाएगा । अनुबंध XII में दिए गए प्रारूप के अनुसार निधियों को जारी करने के लिए बैंक खाते के ब्यौरे की सूचना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दी जाएगी । प्रत्येक माह अनुबंध VI के अनुसार प्रत्येक सांसद (वर्तमान एवं भूतपूर्व) के लिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (अर्थात् एमपीआर) अलग-अलग, जिला प्राधिकारियों को भेजी जाएगी जिसमें बैंक खाते में नोडल प्राधिकारी के पास उपलब्ध शेष निधियां भी दर्शाई जाएंगी ।

2. चूंकि दिशानिर्देश खाते की प्रकृति को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, सामान्यत: एमपीलैड्स के अधीन जारी की गई राशि बचत खाते में रखी जाती है । चूंकि यहां बचत खाते अथवा सेवीफिक्स खाते के संचालन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एमपीलैड्स निधियों को सेवीफिक्स खातों में जमा किया जाना चाहिए जिसमें अधिक दर पर ब्याज मिलता है । वर्तमान बचत

एमपीलैड्स प्रेषण अनुभाग
जारी किया
दिनांक 27/11/14

खातों के लिए सावधि जमा से बचत खातों में तथा ठीक इसके विपरीत के लिए "स्वत: स्वीप सुविधा" का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सरकार को ब्याज की कम दर में बढ़ोतरी होने से किसी तरह का घाटा न हो ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।